उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-179/2026/402 के-2/22-3-2025-17(**01**)/2020

लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2026

<u>आदेश</u>

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पैरू (बन्दी संख्या-44903) पुत्र श्री शंकर, निवासी-लोहरा, थाना-बिसावां, जनपद-सीतापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-**653/2004** के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 452, 307/149, 364, 326/149, 506, 504, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03, सीतापुर के आदेश दिनांक **11**.06.2008 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 20.06.2023 तक भोगी गयी 14 वर्ष, 02 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 08 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा, बंदी की आयु 74 वर्ष, 09 माह व जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।